तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/498/2003/बारां रामचरण बनाम मोहनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-05-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थिति नहीं **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 14-11-2002 को अपील संख्या 470/2002 अनुवानी रामचरण बनाम मोहनलाल में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/वर्तमान गैर निगराकार द्वारा उप जिला कलक्टर, किशनगंज के समक्ष विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0ए0 व उसके साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत प्रतिवादीगण/वर्तमान निगराकारान के विरुद्ध प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने अविधिक रुप से, आदेश दिनांक 12-6-2002 प्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया और आदेश दिनांक 17-7-2002 से इसको पुष्ट किया है। जब इस आदेश की अपील प्रार्थी पक्ष द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई तो अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सभी प्रावधानों के बाहर जाते हुये, हमारी क्रय की गई भूमि को हमें ही नकद प्रतिभूति के आधार पर काश्त करने के आदेश दिये हैं। प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि प्रश्नगत आराजी हमारी क्रय की गई भूमि है, अतः इस पर हमें विचारण न्यायालय ने विधि विरुद्ध तरीके से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को इस आदेश को निरस्त करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना हमारी कोई प्लीडिंग के आराजी पर	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/498/2003/बारां रामचरण बनाम मोहनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कैश सीक्योरिटी कायम करने का अविधिक आदेश पारित किया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में हम 1/2 हिस्से के खातेदार हैं और नामांतरकरण संख्या 159 से इसकी पुष्टि होती है। सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर बराबर का कब्जा काश्त होता है, अतः हमें पाबन्द किये जाने का आदेश व आराजी पर नकद प्रतिभूति जमा किये जाने का आदेश, दोनों ही नियमों के विपरीत हैं जिन्हें निरस्त किया जाये और इसी अनुसार निगरानी को स्वीकार किया जाये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय व परीक्षण न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत करने पर परीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक 12-6-2002 जारी किया कि खसरा नम्बर 190 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में दक्षिण में दिनांक 2-7-2002 तक किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुये आदेश दिनांक 17-7-2002 से इस आदेश को पुष्ट किया है। प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी का मुख्य रुप से यही कथन रहा है कि प्रश्नगत भूमि में 1/2 हिस्सा हमारे द्वारा सह खातेदारान चतरा वगैरा से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 3-5-2002 क्रय किया है और हमारे पक्ष में नामांतरकरण संख्या 159 स्वीकृत किया गया है। जमाबंदी सम्वत् 2054-57 का हवाला इस बाबत् दिया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष निगराकारान की ओर से जो अपील प्रस्तुत की गई, वह परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-6-2002 एवं दिनांक 2-7-2002 के विरुद्ध थी जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया था। अपील मीमो के अध्ययन से ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा नकद प्रतिभूति की कोई प्ली ली गई हो। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सम्पूर्ण भूमि को नकद प्रतिभूति के आधार पर अपीलार्थी की काश्त में देने का आदेश, प्लीडिंग्स से बाहर जा कर पारित किया गया है। प्रार्थी पक्ष द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि की दक्षिण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/498/2003/बारां रामचरण बनाम मोहनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में दखल नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है और धारा 212 के आवेदन का जो जबाब अप्रार्थी द्वारा दिया गया है उसमें अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बर 190 के पश्चिम की ओर अपना कब्जा होना बताया है। पक्षकार के मध्य विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद लंबित है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 190 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में दक्षिण की सीमा में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों व प्लीडिंग्स से बाहर होने से, निरस्त किये जाने योग्य है। फलतः निगरानी आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 14–11–2002 को पारित निर्णय को निरस्त किया जाता है और उप जिला कलक्टर, किशनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–2002 की पुष्टि की जाती है। चूँकि वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 दिनांक 12–6–2002 को प्रस्तुत किया गया है, बहुत पुराना हो चुका है, जिस पर ये कार्यवाही चली है। अतः यदि मूल वाद का निस्तारण हो चुका है, तो यह आदेश प्रभावहीन हो जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	